


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विजय प्रताप सिंह बनाम श्रीमती छोटी कंवर अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2022/1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20.09.22	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट उपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं, प्रकरण में पुनः रूक रूककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि प्रकरण में पूर्व से स्थगन जारी है तथा अधिवक्ता अपीलान्ट को पूर्व में कई अवसर देने के उपरान्त भी बहस नहीं करना चाहते हैं, ऐसे में अपीलान्ट के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जावे एवं अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।</p> <p>हमने अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से न्यायालय के समक्ष कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (विकास एस.भाले) संभागीय आयुक्त, जयपुर। </p>	